

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेडेले फिलिपा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 4 अप्रैल 2024 गुरुवार

सम्पादकीय

लोकतंत्र की डगर पर

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय चुनावों में विपक्षी दलों को मुकाबले में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ कितने समान अवसर मिलते हैं। हाल के दिनों में पार्टी के बकाया कर मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके खाते सील होने के चलते उसे चुनाव लड़ने में दिक्कत हो रही है। वह अपने प्रत्याशियों को हवाई टिकट नहीं दे पा रही है। यह भी कि वह बड़ी चुनावी रैलियां नहीं कर पा रही है। आरोपों की तार्किकता और देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी का वित्तीय प्रबंधन अपनी जगह है, लेकिन किसी भी मुकाबले का नैतिक नियम यही है कि चुनावी मुकाबले में हर राजनीतिक दल को बराबर का अवसर दिया जाए। बहरहाल, अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को वचन दिया है कि जुलाई तक आयकर विभाग कांग्रेस से बकाया तीन हजार पांच सौ करोड़ से अधिक के कर वसूलने के बावत कोई भी कटोर कदम उठाने से परहेज करेगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही हफ्ते बाकी रह गये हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को राहत देने के चलते यह प्रकरण कर मामलों के राजनीतिकरण के बावत प्रासंगिक प्रश्न भी उठता है। यही वजह है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल 'कर आतंकवाद' के जरिये राजनीतिक लाभ उठाने के लिये राज्यतंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। यह प्रकरण इन्हीं आरोपों की कड़ी को विस्तार देता है। निश्चित रूप से, बार-बार आयकर विभाग की चेतावनी और ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस के फंड पर रोक कई सवालों को जन्म देती है। जो किसी भी स्वतंत्र लोकतंत्र की पारदर्शी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है क्योंकि ऐन चुनाव के वक्त पार्टी फंड पर रोक लगाने से कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार अभियान में पंगु हो जाता है। जो किसी भी लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत कदापि नहीं कहा जा सकता।

बहरहाल, चुनाव के कुछ समय बाद तक आयकर बकाया मामले में कांग्रेस के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न करने का वायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को तात्कालिक वित्तीय दबाव से कुछ राहत जरूर देगा। लेकिन यह कदम कर कानून प्रवर्तन में निष्पक्षता और पारदर्शिता की अंतर्निहित विचारों का समाधान प्रदान नहीं करता है। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने में न्यायपालिका की भूमिका कानून के शासन को स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी आरोप-प्रत्यारोप वाले राजनीतिक परिदृश्य में वीते रविचार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को देश के जनमानस के सामने रखती है। विपक्षी नेताओं का आरोप रहा है कि असहमति की आवाज को दबाने के लिये सत्तारूढ़ दल सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। नेताओं ने विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को राजनीतिक दुराग्रह से की कई कार्रवाई के रूप में दर्शाया है। बहरहाल, विपक्षी गठबंधन में तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद सरकारी एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के मुद्दे ने विपक्षी दलों में प्राणवायु का संचार किया है। इसी मुद्दे को लेकर संयुक्त मोर्चा जिन समर्थन जुटाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक लगे। वहीं कथित चुनावी कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। यानी चुनाव प्रक्रिया के दौरान संस्थागत निष्पक्षता से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से देश के लोकतांत्रिक ढांचे में जनता का भरोसा तभी कायम रह पाएगा जब चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के लिये समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। इस चुनावी प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव डालने का कोई प्रयास व किसी भी तरह की ऊंच-नीच की कोई धारणा लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर ही करती है।

क्या पलटूराओं को सबक सिखायेंगे मतदाता



-शिवनाथ सचदेव-

गुजराती के प्रतिष्ठित कवि हैं वे। उस दिन टेलीफोन पर क्रिकेट मैच देखते हुए अचानक बोले, 'हम ऐसा क्या नहीं कर सकते हैं?' क्या नहीं कर सकते हैं हम, जब उनसे यह पूछा तो उन्होंने कहा, 'वही, जो क्रिकेट के दर्शक कर रहे हैं।' फिर उन्होंने जैसे समझते हुए कहा था, 'हादिक गुजरात से खेलता था, वह पाला बदलकर मुंबई की टीम का कप्तान बन गया है। दर्शक इस पलटूरा को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम अपने राजनेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमें भी उनका बहिष्कार कर देना चाहिए।' और फिर हम इस दिये थे।

यह सवाल सिर्फ हमें ही नहीं आता है। चुनाव का मौसम चल रहा है। ऐसे दिन नेताओं के पाला बदलने की खबरें आ रही हैं। फलाना नेता फलाना दल छोड़कर फलाने दल में चला गया है, फलाना नेता पर-पारसी कर गया है, फलाने नेता ने कल रात दल न बदलने की कसम खा ली थी, आज सड़के की कसम बंदवली बन गया है, अखबारों में इस तरह के शीर्षक आम बात हो गये हैं। टी.वी. चैनलों पर चटकर के-के-केकर इस आग्रह की खबरों को



सुनाया-दिखाया जा रहा है। न दल बदलुओं को अपनी कथनी-करीनी पर शर्म आ रही है और न ही राजनीतिक दलों को कोई संकोच हो रहा है उनका स्वागत करने में जिन्हें कत तब वह भ्रष्टाचारी, बेध्यान, धोखाखोर जैसे विशेषणों से नवाजा करते थे। मेरा गुजराती कवि मित्र ऐसे ही लोगों की बात कर रहा था पर कौन सुन रहा है उसकी बात?

लेकिन इस अवाज को सुना जाना जरूरी है। खास तौर पर जनतांत्रिक व्यवस्था में जहां मतदाता उम्मीदवार की नीतियों, बातों पर भरोसा करके उसे अपना प्रतिनिधि चुनता है। ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को कोई आक्षेप नहीं बनना कि वे अपने मतदाता के साथ इस तरह की धोखाखोरी करें।

हाँ, ऐसे दलबदलुओं को धोखाखोर ही कहा जा सकता है जिनके लिए येन-केन प्रकारेण सत्ता में हिस्सेदारी करना ही राजनीतिक उद्देश्य है। दुर्भाग्य यह है कि यह धोखाखोरी को हमारी राजनीति में ही नहीं, हमारे

जीवन में भी स्वीकार कर लिया गया है। जनता की जनता के लिए, और राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चयन में लगे हैं और राजनेता उन राजनीतिक दलों का दामन पकड़ने की कोशिश में लगे हैं जो उन्हें जीत के कच्ची-पक्की गारंटी दे सकते हैं। उम्मीदवारों के चयन का आधार सिर्फ उनके जीतने की संभावना ही है। यह बात कोई मारुपे नहीं रखती कि वे कैसे जीतते हैं- बस जीतना चाहिए।

जनतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ एक प्रणाली नहीं है, एक जीता-जाता विचार है यह प्रणाली। बहुतों के आधार पर घोषित नीतियों के अनुसार शासन चलाने के लिए व्यक्ति-दलों को चुना जाता है। उम्मीद की जाती है कि उन नीतियों का पालन होगा। इस प्रणाली में मतदाता सिर्फ अपना प्रतिनिधि ही नहीं चुनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के संदर्भ में अपने विचार भी व्यक्त करता है। मतदाता के इन विचारों का सम्मान होना ही चाहिए। पर, इस

इस समय देश में 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चयन में लगे हैं और राजनेता उन राजनीतिक दलों का दामन पकड़ने की कोशिश में लगे हैं जो उन्हें जीत के कच्ची-पक्की गारंटी दे सकते हैं। उम्मीदवारों के चयन का आधार सिर्फ उनके जीतने की संभावना ही है। यह बात कोई मारुपे नहीं रखती कि वे कैसे जीतते हैं- बस जीतना चाहिए।

जनतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ एक प्रणाली नहीं है, एक जीता-जाता विचार है यह प्रणाली। बहुतों के आधार पर घोषित नीतियों के अनुसार शासन चलाने के लिए व्यक्ति-दलों को चुना जाता है। उम्मीद की जाती है कि उन नीतियों का पालन होगा। इस प्रणाली में मतदाता सिर्फ अपना प्रतिनिधि ही नहीं चुनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के संदर्भ में अपने विचार भी व्यक्त करता है। मतदाता के इन विचारों का सम्मान होना ही चाहिए। पर, इस

संदर्भ में हम जो कुछ अपने देश में होता देख रहे हैं, वह कुल मिलाकर निराश ही करता है। पिछले 75 सालों में हमने बार-बार इस बात को देखा है कि चुने जाने के बाद राजनेता और राजनीतिक दल सिर्फ आश्वासनों को ही नहीं भूलते, उन नीतियों-मूल्यों को भी याद रखने की आवश्यकता नहीं समझते जिनकी दुहाई देकर वे सत्ता में पहुंचते हैं। चुने जाने के लिए दल बदलना ऐसे ही सत्ताकामी सोच का उदाहरण है।

ऐसा नहीं है कि इस विसंगति की ओर कभी, या किसी का ध्यान नहीं गया। ध्यान गया था। इसीलिए कुछ ऐसे व्यक्तियों भी बनायी गयी जो दल-बदल से उत्पन्न अराजक स्थिति को कुछ संभरे। लगभग चालीस साल पहले वर्ष 1985 में देश में दल-बदल विरोधी कानून भी बना था। पर तू डाल-डाल में पाता-पाता वाली स्थिति बनती रही। दलबदलुओं को हेय दृष्टि से भी देखे जाने की बात कही जाती है। पर व्यवहार में जो कुछ दिख रहा है वह शर्म इनको मरत नहीं आता। का उदाहरण ही प्रस्तुत करने वाली है। दल-बदल करने वाले किसी नेता को कभी शर्मिंदा होने नहीं देखा गया। उल्टे विचारों और सिद्धांतों की राजनीति को ही एक शर्मनाक स्थिति में पहुंचा दिया गया है। पर जाऊंगा, या अब फलाने के साथ नहीं जाऊंगा करना वाला, और ईमानदार राजनीति का दवा करने वाला बिना किसी हिचक के दल-विषेण की शरण में चला जाता है और घोषणा करने लगता है कि 'अब इश्वर-उबर नहीं जाना है।

ऐसे दल-बदलुओं के नाम गिने की आवश्यकता नहीं है। हर दल में ऐसे लोग मिल जाएंगे। मजे की बात यह है कि ऐसा दल-बदल हमेशा समाज और देश की सेवा के नाम

पर होता है! हर दल बदलू यह दवा करता है कि वह ईमानदार राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है- दल बदलने में उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है!

जैसा कि स्वाभाविक है, दल-बदलु अवसर सत्तारूढ़ दल की ओर ही आकर्षित होते हैं। ताजा उदाहरण हाल के सालों का है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सन् 2014 और 2021 के बीच 7 सालों में 426 दलबदलु अपने दल छोड़कर केंद्र में सत्तारूढ़ दल भाजपा में शामिल हुए थे। इन्होंने 253 विधायक हैं और 173 सांसद। इसके तुलना में कांग्रेस साल में कुल 176 दल-बदलु शामिल हुए थे। यह खवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि दलबदलुओं को सत्तारूढ़ दल ही जयदा आकर्षित क्यों करता है? पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि संसद में भाई-भरमरम बहुमत वालों भाजपा जैसे दल को दलबदलुओं की आवश्यकता क्यों महसूस होती है?

इस संदर्भ में एक सवाल तो मतदाता की भी बनता है वह क्यों ऐसे राजनेताओं को समर्थन देता है जिनके दामन पर दल-बदलु होने का दावा हो? फिर, कोई विपक्षी नेता ऐसा ही नहीं चाहिए जिसमें सिद्धांतहीन राजनीति को कोई अंधेरा लगा सके। और कुछ नहीं तो सत्ता के शासन में दल बदलने वालों को लालच करने की कोई कोशिश तो हो ही सकती है। आईएएन में अपनी ही बस्ती देखने वाले खिलाड़ी के खिलाफ बदलेयें मारवाती मले ही संघत न लगे, पर राजनीति में दल में तो ऐसा कुछ होना ही चाहिए कि मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से यह पूछ सकें कि तुम्हें सिद्धांतहीन पाता-बदल करने में शर्म क्यों नहीं आती?

-लेखक विश्व पत्रकार हैं।

खुद डाक्टर बन जाने के खतरे

-सोम लववंशी-

बदलती जीवन शैली और खानपान के कारण हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार जरूर होता है। खुद नहीं होता तो उनके परिवार में उसे इस स्थिति का सामना जरूर करना पड़ता है। डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज कराने जाते हैं व उसकी सलाह से दवाई लेते हैं। पर खतरनाक बात यह कि आजकल लोग बीमारियों का इलाज डॉक्टर से कवामे के बजाय ये काम भी खुद ही करने लगे हैं। जरूरी नहीं कि इस तरह का इलाज हमेशा सही हो। लेकिन, ऐसे प्रयोग अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं, तो कई बार गम्भीर परिणाम होते हैं। खास-खास या छोटे-मोटे दख तक तो ठीक हैं, पर लक्षणों को देना-देख कर खुद का दवा-झान या मेडिकल स्टोर वाले से दवा लेना संभव के लिए नई परंपराओं खड़ी कर सकता है। परिवार व दोस्तों में बेवजह दवाई बताने वाले बहुत मिलते हैं। आज कल तो इंटरनेट पर भी लोग अपना इलाज खोजने में देर नहीं करते हैं। जबकि इसके परिणाम घातक होते हैं।



डॉक्टर परामर्श जरूरी डॉक्टरों को तो आप दिन इस तरह के मरीजों से दो-चार होने पड़ता है जो खुद का इलाज करके अपनी बीमारी को और अधिक गम्भीर बना लेते हैं। डॉक्टर के पास आने वाला हर दूसरा मरीज अपनी बीमारी की दृष्टि न कुछ जानकारी लेकर जरूर आता है व उन दवाइयों के नाम तक बताना शुरू कर देता है। जो उसमें मेडिकल स्टोर से लेकर आते हैं। ऐसे मरीज डॉक्टर की सलाह को भी गमभीरता से नहीं लेते हैं। कई बार तो इंटरनेट सर्च करके टेस्ट करवा देते हैं और रिपोर्ट के आधार पर दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। जबकि, खुद डॉक्टर तक बिना जांच के इलाज शुरू नहीं करते।

इंटरनेट पर बीमारी का इलाज ढूंढना आसान लोगों को लेकर सलाह देने का सचन नया नहीं है। लेकिन, आईटी डॉक्टर बना घूमता है। हर बीमारी का इलाज इलाज के दिनों की इंटरनेट पर बाढ़ लगी हुई है। इंटरनेट पर बीमारी का इलाज ढूंढना बहुत आसान होता है। मरीज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता

खुद की समझ से दवा के सेवन यानी सेल्फ मेडिकेशन को एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या कहा जाता है। कई लोग मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा लेते हैं। लेकिन, वे मूल जाते हैं कि मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं है। उसे दवा की जानकारी हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि उसे दवा का सही डोज, मरीज के लिए उसकी जरूरी मात्रा और दवा के दुष्प्रभाव के बारे में सही जानकारी हो। ऐसा अंधा अंधा खतरनाक साबित होता है। इससे कई बार छोटी बीमारी भी बहुत गम्भीर हो जाती है। किडनी और लिवर जैसे अंग खराब होने का भी खतरा बना रहता है।

बहुत गम्भीर हो जाती है। किडनी और लिवर जैसे अंग खराब होने का भी खतरा बना रहता है। जागरूकता चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी इंटरनेट पर मौजूद दवा सबके जानकारी और ऑनलाइन कंसल्टेंसी को लेकर एक रिपोर्ट सरकारी को दी है जिसमें कहा गया कि देश में टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन, इंटरनेट कंसल्टेशन पर कोई नीति बनाई जाना चाहिए।

इंटरनेट की जानकारीयों पर प्रतिक्रिया लगाता आसान नहीं है। लेकिन सेतानी जरूर डाली जा सकती है। देखा गया है कि लोग डॉक्टर की लिखी दवा के नाम भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं। कई बार मरीज या मरीज का कोई परिजन डॉक्टर को दवाइयों में विशेषज्ञ मानने लगता है। ऐसा भी देखा गया कि मरीज डॉक्टर की पर्ची की मदद से इंटरनेट पर सर्च करके बीमारी ढूंढते हैं और उसकी तुलना अपनी बीमारी से करते हैं। डॉक्टर की सुझाई दवा उनकी बीमारी से मेल नहीं खाती, तो कई बार वे उसे खाना ही छोड़ देते हैं। नतीजा, दवा के अभाव में बीमारी और बढ़ती है। ऐसी कई घटनाएं हमें अपने आसपास मिल जाएंगी। इस समस्या से निजात के लिए जागरूकता फैलानी होगी।

ग्लोबल वॉर्मिंग के जोखिम



-ज्ञानेंद्र रावत-

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, अगले पांच साल में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के 66 फीसदी आसार हैं। हालांकि पर्यावरण विज्ञानी जेक हॉफमस्टर की मानें तो 1.5 डिग्री से. वैश्विक तापमान 2030 से पहले पहुंचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हर एक साल 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के करीब पहुंचना भी बढ़ा सकता है। ला नीना से अल नीनो में तबदीली होने की स्थिति में जहां पहले बरफ आती थी वहां अब सूखा पड़ेगा और जहां पहले सूखा पड़ता था वहां अब बाढ़ के आने का संदेश है। दुनिया में तापमान में हो रही बदलती खतरे का संकेत है। जलवायु परिवर्तन में इसमें अहम भूमिका निभाई है।

दरअसल, तापमान की तुलना का यह वह समय है जब अंटार्कटिका से फॉसिल फ्यूल का उत्सर्जन शुरू नहीं हुआ था। विज्ञानियों ने अल नीनो के कारण गर्मी के इस तरह के भीमण उष्णता की आशंका जताई है। यह सब कारणा, तेल और गैस के जलाने की सीमा सीमा पर करने का दुष्परिणाम है। फिर वीते सालों की प्राकृतिक घटनाओं को देखते हुए यह कम आश्चर्यजनक नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने में तत्परात से कारगर कदम उठाने में विश्वका समुदाय उत्तना सज्जन नहीं दिखता जितना होना चाहिए। वीते साल मार्च, 2023 से इस साल 2024 के वीते के बारह महीनों में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर लिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट की मानें तो न केवल वीते बर बरिदक पूरा वीता दशक धरती पर अभी तक का सबसे अधिक रहस है। समुद्र ने बताना भी देते हुए कहा है कि यह वर्ष भी गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है।

यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी यानी ईईए की मानें तो यूरोप तेजी से बढ़ते तापमान के कारण जलवायु में स्थिर पड़ने की संभावना प्रवल है।

